

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1265/वि.स.वित्त/2016

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2016

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा शिक्षक (पंचायत) को नवम्बर माह के वेतन से अग्रिम रु. 10,000 (रु. दस हजार) नगद राशि के रूप में प्रदाय करने हेतु।

राज्य शासन द्वारा समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा शिक्षक (पंचायत) को नवम्बर माह के वेतन से अग्रिम के रूप में प्रति कर्मचारी रु. 10,000/- नगद राशि प्रदाय दिनांक 28/11/2016 से 30/11/2016 तक करने का निर्णय लिया गया है।

2. जो कर्मचारी तथा शिक्षक (पंचायत) नवम्बर माह के वेतन से रु. 10,000/- नगद प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें संलग्न प्रारूप पर विकल्प दिनांक 26/11/2016 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देना होगा। विकल्प प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि कर्मचारी द्वारा रु. 10,000/- नगद वेतन अग्रिम प्राप्त करने हेतु विकल्प दिया गया है।

3. विकल्प अनुसार अग्रिम न लेने वाले कर्मचारियों को वेतन पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार वितरित किया जाये।

4. वेतन अग्रिम, प्रपत्र सी.जी.टी.सी. 76 के माध्यम से आहरित किया जा कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के चालू खाता में जमा किया जाये, जिसे नगद आहरित कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों को वितरित किया जाये। प्रदायित राशि की पावती ली जाये व अवितरित राशि, यदि कोई हो, तो उसका समायोजन कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 276 (2) के प्रावधानों के अनुसार किया जाये।

5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा कोषालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त वेतन अग्रिम का समायोजन कर्मचारियों के माह नवम्बर 2016 के वेतन देयक से किया जाये।

6. समस्त प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के माध्यम से आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा प्रबंधन विभाग, मुम्बई
8. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर,
9. संयोजक एवं उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर,
10. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
16. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ रायपुर
17. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

169
विशेष सचिव

विकल्प का प्रारूप (नगद अग्रिम नहीं लिये जाने हेतु)

मैं..... (कर्मचारी का नाम)..... (पदनाम) माह
नवम्बर 2016 के वेतन से रु. 10,000/- अग्रिम प्राप्त नहीं करना चाहता/चाहती हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

प्रति,

आहरण एवं संवितरण अधिकारी,

कार्यालय.....,